संख्या-897/2017/2333/22-2-2017-17(11)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिद्धनाथ पुत्र श्री हरखू, निवासी जनपद-सोनभद्र की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार मुख्यालय के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सिद्धनाथ पुत्र श्री हरखू, निवासी ग्राम-शिवपुर, थाना-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर वर्तमान हालपता-ग्राम भैंसवारा, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र का रहने वाला है। दिनांक 26.06.1979 को रात्रि लगभग 08:45 बजे बन्दी व उसके भाई का हरगेन व हरिहर नामक व्यक्तियों से विवाद हुआ। विवाद बढ. जाने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हरगेन व हरिहर पर वार किया, जिससे हरगेन की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-255/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 08-04-1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.05.2003 द्वारा यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 01 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दिनांक 26.06.1979 को बन्दी व उसके भाई का हरगेन व हरिहर से विवाद हुआ। विवाद बढ. जाने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हरगेन की हत्या करने एवं हरिहर को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-61 वर्ष लगभग है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी सिद्धनाथ पुत्र श्री हरखू, निवासी जनपद-सोनभद्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सिद्धनाथ (बन्दी संख्या-45309) पुत्र श्री हरखू, निवासी जनपद-सोनभद्र के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-897/2017/2333(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सोनभद्र।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-897/2017/2333@22-2-2017-17(11)/2004

दिनांक 27 नवम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिद्धनाथ (बन्दी संख्या-45309) पुत्र श्री हरखू, निवासी ग्राम-शिवपुर, थाना-अदलहाट, जनपद-मिर्जापुर वर्तमान हालपता-ग्राम भैंसवारा, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र का रहने वाला है। दिनांक 26.06.1979 को रात्रि लगभग 08:45 बजे बन्दी व उसके भाई का हरगेन व हरिहर नामक व्यक्तियों से विवाद हुआ। विवाद बढ. जाने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हरगेन व हरिहर पर वार किया, जिससे हरगेन की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-255/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 324/34 में मा0 सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 08-04-1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.05.2003 द्वारा यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 15 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 01 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दिनांक 26.06.1979 को बन्दी व उसके भाई का हरगेन व हरिहर से विवाद हुआ। विवाद बढ. जाने पर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हरगेन की हत्या करने एवं हरिहर को गम्भीर रूप से घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-61 वर्ष लगभग है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी सिद्धनाथ पुत्र श्री हरखू, निवासी जनपद-सोनभद्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।